WESTERN RAILWAY

P.S.No.33/2012

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP(Pass)768/8 Vol.VII

Date: 04.04.2012

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn.'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub : Validity of Duty Passes for travel in Duronto Express Trains.

==========

A copy of Railway Board's letter No.E(W)2009 PS 5-1/30 dated 21.03.12 (R.B.E.No.37/2012) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

(S. Kademani)
For General Manager(E)

R.B.E No./37/ 2012

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No. E(W)2009 PS 5-1/30 **New Delhi, dated 21 March 2012**

The General Managers (Personnel & Commercial)
All Indian Railways &
Production Units.

Sub: Validity of Duty Passes for travel in Duronto Express Trains.

Ref.: Railway Board letter No.TC-II/2910/09/Duronto Train dated 30-9-2009 (Commercial Circular No.53 of 2009)

Instructions have been issued vide Board's letter No. TC-II/2910/09/Duronto Train dated 30-9-2009 (Commercial Circular No.53 of 2009) regarding the basic fare structure and classes of travel available on Duronto Express Trains. With a view to facilitate inspection of these trains, the issue to allow 'Duty Passes' on Duronto Express Trains was under consideration in Board's Office.

2. After careful consideration, it has been decided to allow railway officials to travel in Duronto Express Trains while traveling **ON DUTY** only subject to the following :

(i) The entitlement of Railway officer/staff to travel in Duronto Express trains will be same as that in case of Rajdhani Express trains with the only exception that the highest class in which they can travel in these trains will be 2 AC and not 1 AC.

(ii) The maximum number of berths/seats which can be booked in a train per trip will be as under:

II AC	4 berths
III AC	6 berths
A.C. Chair Car	6 seats

(iii) At the time of booking tickets against this quota, only wait listed ticket will be issued and the berths will be confirmed at the time of release of Emergency Quota, on receipt of request keeping in view the inter-se seniority of officers/urgency of travel etc.

Contd...02/-

(iv) At the time of preparation of reservation charts, the unutilized accommodation earmarked for this purpose shall get released to RAC/Wait-listed passengers.

(v) The accommodation to be earmarked for onboard ticket checking staff manning the train will be on the pattern of Rajdhani Express trains.

(vi) CTC Squad of Railway Board and CCMs' Squad of zonal Railways and staff of Vigilance Department can conduct surprise checks in these trains on the authority of duty pass without advance reservation.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Receipt of this letter may please be acknowledged.

(Sanjay Manocha)
Dy. Director Traffic Commercial(General-II)
Railway Board

(N.C. Jain)
Dy. Director Estt. (Welfare)
Railway Board

आरबीई सं. 37 /2012

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डब्ल्यू) 2009/पीएस 5-1/30

नई दिल्ली, दिनांक: 21.7.2012

महाप्रबंधक (कार्मिक एवं वाणिज्यिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां।

विषय: दुरान्तो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए ड्यूटी पास की वैधता।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 30.09.2009 का पत्र सं.टीसी-II/2910/09/दुरान्तो ट्रेन (2009 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.53)

बुनियादी किराया संरचना और दुरान्तो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में उपलब्ध यात्रा की श्रेणियों के संबंध में बोर्ड के दिनांक 30.09.2009 के पत्र सं.टीसी-II/2910/09/दुरान्तो ट्रेन (2009 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.53) के तहत अनुदेश जारी किए गए हैं। इन रेलगाड़ियों के निरीक्षण की सुविधा के मद्देनज़र दुरान्तो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में 'ड्यूटी पास' की अनुमति दिए जाने के मामले पर बोर्ड कार्यालय में विचार किया गया था।

2. समुचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित के अध्यधीन दुरान्तो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में रेल अधिकारियों को केवल **ऑन ड्यूटी** यात्रा करने के समय ही यात्रा करने की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया है,:

(i) दुरान्तो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में रेल अधिकारी/कर्मचारी की पात्रता वही होगी जो राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में होती है, सिवाय एक अपवाद के कि इन गाड़ियों में उच्चतम श्रेणी, जिसमें वे यात्रा कर सकते हैं, 2एसी होगी न कि 1एसी।

(ii) बर्थों/सीटों की अधिकतम संख्या, जिसे प्रति ट्रिप एक गाड़ी में बुक किया जा सकता है, निम्नानुसार होगी:

II एसी	4 बर्थ
III एसी	6 बर्थ
एसी चेयर कार	6 सीट

(iii) इस कोटा में टिकटों की बुकिंग के समय केवल प्रतीक्षा सूची वाले टिकट ही जारी किए जाएंगे और इन बर्थों को अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता/यात्रा की तात्कालिकता आदि को ध्यान में रखते हुए अनुरोध प्राप्त होने पर आपातकालीन कोटा के जारी किए जाने के समय ही कन्फर्म किया जाएगा।

(iv) आरक्षण चार्टों के तैयार किए जाने के समय इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किए गए अप्रयुक्त एकोमोडेशन को आरएसी/प्रतीक्षा-सूची वाले यात्रियों को जारी कर दिया जाएगा।

(v) गाड़ी में ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए निर्धारित किया जाने वाला एकोमोडेशन राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तर्ज पर ही होगा।

(vi) रेलवे बोर्ड के सीटीसी दस्ते और जोनल रेलों के सीसीएम दस्ते तथा सतर्कता विभाग के कर्मचारी बिना अग्रिम आरक्षण के ड्यूटी पास के प्राधिकार पर इन गाड़ियों में औचक जांच कर सकते हैं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. कृपया इस पत्र की पावती दें।

(संजय मनोचा)
उप निदेशक यातायात वाणिज्य (सामान्य-II)
रेलवे बोर्ड

(एन. सी. जैन)
उप निदेशक स्था. (कल्याण)
रेलवे बोर्ड